सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

आपणो गरिमा आपणो मान
निर्मल राजस्थान

एफ.4 ( ) पराविं/एस.बी.एम(ग्रा0)/2015–16/ 1158 जयपुर, दिनांक : 1/7/15

प्रमुख शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान।

विषय :– सम्बल गॉवों में व्यक्तिगत शौचालय बनवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– क्रमांक एफ 8(14) एससीएसपी/सबघो/93.3.0/सान्याअवि/2015–16/10382 दिनांक 22.04.2015

उक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि सम्बल गॉवों में व्यक्तिगत शौचालय बनवाने के सम्बन्ध में आप द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है :–

- यह है कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) के गाईड लाईन के अनुसार व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण स्वंय लाथार्थी के द्वारा किया जाना है।
- योजना के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न परिवार पात्रता की श्रेणी में आते है:–
  1. समस्त बीपीएल परिवार
  2. निम्न श्रेणी के एपीएल परिवार
     (i) अनुसूचित जाति (SC) (ii) अनुसूचित जनजाति (ST) (iii) लघु एवं सीमांत किसान
     (iv) महिला मुखिया परिवार (v) भूमिहीन श्रमिक परिवार (vi) विकलांग परिवार
- नवीन दिशा निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अंतर्गत बीपीएल/निर्धारित एपीएल परिवारों को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण एवं हाथ धोने तथा शौचालय की सफाई के लिए जल उपलब्ध कराने और भंडारण सहित के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन (Incentive) राशि रूपये 12,000/– तक होगी। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन (Incentive) राशि का केन्द्रीय अंशदान रूपये 9,000/–(75 प्रतिशत) होगा। राज्यांश रूपये 3,000/– (25 प्रतिशत) होगा।
- नवीन दिशा निर्देश के बिन्दू संख्या 5.4.3 के अनुसार राज्यों को यह छूट होगी कि एसबीएम (ग्रामीण) के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से अधिक इकाई–लागत के पारिवारिक शौचालय के लिए अधिक प्रोत्साहन (Incentive) राशि उपलब्ध कराए तथापि इस अतिरिक्त राशि को किसी अन्य केन्द्र प्रायोजित योजना के केन्द्रीय अंश से वित्तपोषित नही किया जा सकता है।
- राज्य में कुछ ग्राम पंचायतों का चयन महात्मा गॉधी नरेगा के तहत् व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए किया गया है, उन ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से प्रोत्साहन (Incentive) राशि नही दी जा सकेगी।
- शौचालय निर्माण में राशि के भुगतान में दोहरापन रोकने हेतु महात्मा गॉधी नरेगा योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अतिरिक्त शेष परिवारों का सूचीकरण किया जाकर सम्बल योजना में पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जाना उचित होगा।

(श्रीमत पाण्डेय)
प्रमुख शासन सचिव